

- (i) किसी सार्वजनिक पुल अथवा कॉर्जवे से सड़क मार्ग;
- (ii) किसी सार्वजनिक पुल अथवा कॉर्जवे से पैदल मार्ग और;
- (iii) ऐसे स्ट्रीट, सड़क, सार्वजनिक पुल अथवा कॉर्जवे और सड़क मार्ग के किनारे से संपत्ति के पाश्वरस्थ सीमा तक की भूमि से जुड़ा नाला;
- (ध) "सचिव जनजातीय कल्याण" से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के जनजातीय कल्याण सचिव / विशेष सचिव, प्रभारी, अभिप्रेत हैं;
- (न) "अनुसूची" से इस विनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (प) "धारा" से विनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (फ) "कर" से इस विनियम के तहत उद्घरणीय कर, उपकर, दर अथवा अन्य चुंगी अभिप्रेत हैं;
- (ब) "संघ राज्य क्षेत्र" से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (भ) "ग्राम" से इस विनियम के प्रयोजन हेतु प्रशासक द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट जिला के गाँव अभिप्रेत हैं जिसमें इस प्रकार से विनिर्दिष्ट गाँवों का समूह भी शामिल है;
- (म) "ग्राम परिषद" से धारा 11 के तहत गठित ग्राम परिषद अभिप्रेत है।

अध्याय – II ग्राम साधारण निकाय

3. प्रशासक अधिसूचना के माध्यम से सरकारी राजपत्र में धारा 2 की उप धारा (V) के तहत प्रत्येक गाँव अथवा गाँवों के समूहों के लिए ग्राम साधारण निकाय गठित करेगा ।

ग्राम साधारण
निकाय का
गठन

4. (1) ग्राम साधारण निकाय में ग्राम परिषद के क्षेत्र के भीतर आने वाले गाँव अथवा गाँवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत निकोबारी जनजातीय शामिल हैं;

ग्राम साधारण
निकाय का
गठन

बशर्ते कि निकोबारी जनजाती साधारण निकाय के सदस्य होने के लिए निम्न अयोग्यता न रखते हों –

- (क) भारत का नागरिक न हों;
- (ख) आयु अठारह वर्ष से कम हों;
- (ग) मानसिक रूप से स्वस्थ न हों और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; और
- (घ) सामान्यतः गाँव जिसके लिए ग्राम साधारण निकाय गठित किया गया है उसके दायरे के भीतर निवास न करता हो ।

स्पष्टीकरण:- इस विनियम के प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति को साधारणतः उस ग्राम का वासी समझा जाए साधारणतः जहाँ वह रह रहा हो अथवा वहाँ एक आवास गृह उसके आधिपत्य में आवास योग्य पूरी तरह तैयार है ।

ग्राम साधारण
निकाय का
निगमन

5. प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय जो ग्राम साधारण निकाय का निगम है, शाश्वत उत्तराधिकार के साथ एक निगमित निकाय होगा तथा कॉमन सील होगा और इस विनियम के तहत लगाए गए प्रतिबन्ध और शर्तों के आधार पर चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने, उपयोग करने और हस्तान्तरण करने का उन्हें अधिकार होगा, और वह किसी सविदा के करने के लिए कोई वाद चलाएगा ।

परन्तु शर्त यह है कि ग्राम साधारण निकाय की शक्तियाँ और कार्य, इस विनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय धारा 11 के तहत गठित ग्राम परिषद द्वारा प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन किया जाए ।